साख-निर्माण करने की शक्ति उतनी ही अधिक होगी।

5. अतिरिक्त रिज़र्व (Excess Reserves)—साख-निर्माण की प्रक्रिया इस मान्यता पर आधारित है कि बैंक, केन्द्रीय बैंक द्वारा नियत आवश्यक रिज़र्व-अनुपात का पालन करते हैं। यदि बैंक कानूनी रिज़र्व आवश्यकताओं से अधिक नकदी के रूप में रिज़र्व रखते हैं तो उनकी साख-निर्माण की शक्ति उस हद तक सीमित हो जाती है। यदि हमारे उदाहरण में A बैंक 1000 रु. का 10% की बजाय 15% रिजर्व रखता है, तो वह बैंक 900 रु. की बजाय रु. 850 ही उधार देगा। परिणामत:, साख-निर्माण की राशि कम हो जाएगी, भले ही अन्य बैंक 10 % कानूनी रिजर्व अनुपात का पालन करते रहें।

6. रिसाव (Leakages)—यदि बैंकिंग प्रणाली की साख-निर्माण धारा से रिसाव होते रहते हैं तो कानूनी रिज़र्व अनुपात दिया हुआ होने पर, अपेक्षित स्तर तक साख का विस्तार नहीं हो पाएगा। यह संभव है कि कुछ लोग, जिन्हें चैक प्राप्त होते हैं, उन्हें अपने बैंक खातों में जमा न कराएं, बल्कि खर्चने के लिए अथवा घर पर जमा करने के लिए मुद्रा को नकदी में निकलवा लें। साख विस्तार की श्रृखंला में से जिस सीमा तक नकद राशि निकलवाई जाती है उस सीमा तक बैंकिंग प्रणाली की साख-निर्माण की शक्ति सीमित हो जाती है।

7. चैक समाशोधन (Cheque Clearance)—साख विस्तार की प्रक्रिया इस मान्यता पर आधारित है कि कमर्शियल बैंकों के चैकों का समाशोधन तुरन्त हो जाता है और कमर्शियल बैंकों के रिज़र्व चैक के लेन-देन के अनुरूप समान तौर से बढ़ते या घटते हैं। परन्तु बैंकों के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं है कि उन्हें जितनी राशि चैक प्राप्त हो, ठीक उतनी ही राशि के चैक काट दें। प्राय: चैक समाशोधन के माध्यम से कुछ बैंकों के रिज़र्व बढ़ जाते हैं और कुछ के घट जाते हैं। इससे बैंकों की ओर से साख-निर्माण बढ़ता और घटता है। तदनुसार, साख-निर्माण धारा विचलित हो जाती है।

8. अन्य बैंकों का व्यवहार (Behaviour of other Banks)—अन्य बैंकों का व्यवहार भी साख-निर्माण की शक्ति को सीमित कर देता है। यदि कोई बैंक उस सीमा तक कर्ज नहीं देता जिस सीमा तक बैंकिंग प्रणाली से अपेक्षा की जाती है, तो साख विस्तार की श्रृंखला टूट जाएगी। परिणामत: बैंकिंग प्रणाली पूर्णरूप से साख का निर्माण नहीं कर पाएगी।

9. आर्थिक वातावरण (Economic Climate)—बैंक साख का निर्माण असीमित रूप से नहीं करते रह सकते। उनकी साख-निर्माण करने की शक्ति देश के आर्थिक वातावरण पर निर्भर करती है। यदि तेजी का समय है, तो आशावादिता होगी। निवेश के अवसर बढ़ते हैं तो व्यापारी बैंकों से अधिक कर्ज लेते हैं। इसलिए साख का विस्तार होता है। परन्तु जब मन्दी के दिन होते हैं तो व्यापारिक-क्रिया निम्नस्तर पर होती है। ऐसी स्थिति में बैंक व्यापारियों को कर्जे लेने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस प्रकार, देश का आर्थिक वातावरण बैंक की साख-निर्माण की शक्ति को निर्धारित करता है।

10. केन्द्रीय बैंक की साख-नियंत्रण नीति (Credit Control Policy of the Central Bank)—केन्द्रीय बैंक की साख-नियंत्रण नीति भी कमर्शियल बैंकों की साख-निर्माण की शक्ति को सीमित करती है। केन्द्रीय बैंक खुले बाजार प्रचालनों, कटौती दर नीति तथा बदलती सीमा आवश्यकताओं द्वारा बैंकों की नकदी रिज़र्व राशि को प्रभावित करता है। तदनुसार, वह कमर्शियल बैंकों के साख-विस्तार या संकुचन को प्रभावित करता है।

11. छूत प्रभाव (Contagion Effect)—यदि कोई बैंक कर्जे की अत्यधिक हानियों के कारण अपनी देयताएं चुकाने में असफल होता है तो अन्य बैंकों में साख भगदड़ मच जाती है। किसी बैंक के दिवालिया होने के भय से ग्राहक उस पर 'हल्ला' बोल देते हैं और अपनी जमा निकलवा लेना चाहेंगे। यह स्थिति अन्य बैंकों में भी फैल सकती है। इसे **छूत प्रभाव** कहते हैं जिससे साख निर्माण बिल्कुल बन्द हो जाता है।

प्रश्न